भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2219

(जिसका उत्तर सोमवार, 02 अगस्त, 2021/11 श्रावण, 1943 (शक) को दिया जाना है)

"प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त की गई तेल की खेप"

2219. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनवरी 2018 से आज की तारीख तक भारतीय प्रवर्तन एजेंसियों ने संदेसरा, नाइजीरियाई बिजनेस, एसईईपीसीओ नाइजीरिया या ग्लेनकोर, यूके के माध्यम से फिर से बेचे गए तेल की कितनी खेपें जब्त की गई है और उनका वर्ष-वार मूल्य कितना रहा;

(ख) भारतीय बैंकों, बीएसई, एनएसई और सेबी द्वारा स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड मामले में निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कितनी गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली की है और एसईईपीसीओ नाइजीरिया से प्राप्त तेल संबंधी संदेसरा समूह धोखाधड़ी मामला क्या है और उसका मूल्य कितना है;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त सेवा विभाग द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एनपीए वसूली की सघन निगरानी करने और बैंकों द्वारा करदाताओं के धन और धन की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए है;

और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

भाग- (क)

जी नहीं। भारतीय प्रवर्तन एजेंसियों ने जनवरी, 2018 से अब तक एसईईपीसीओ नाइजीरिया की तेल की कोई भी खेप नही जब्त की है।

भाग- (ख)

स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड के मामले में निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और एनपीए की वसूली के लिए भारतीय बैंकों और सेबी द्वारा प्रयास किए गए हैं जो कि निम्नलिखित है-

सेबी ने निम्नलिखित कार्यवाई आरम्भ की है:

- श्री नितिन संदेसरा और श्री चेतन संदेसरा को निम्नलिखि बातों से रोकने के लिए दिनांक 22 जून 2021 को आदेश 11ख को जारी किया गया है-
  (i) 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार की पहुँच पर रोक।
  (ii) किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधन कर्मचारी या सेबी में पंजीकृत किसी माध्यम के किसी भी पद को धारण करना।
  (iii) किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी या कोई ऐसी सार्वजनिक कंपनी जो जनता से धन इक्ट्ठा करना चाहती हो या सेबी से पंजीकृत किसी मध्यस्थ से स्वयं को जोड़ना।

- सेबी द्वारा जारी के गए समन को न मानने के लिए श्री चेतन संदेसरा के खिलाफ अभियोजन भी आरम्भ किया गया है। उक्त मामले में दिनांक 29 जून, 2018 को कारण बताओं नोटिस जारी करके श्री नितिन संदेसरा और श्री चेतन संदेसरा के खिलाफ न्यायनिर्णयन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

- बैंकों द्वारा उनके वकाये की वसूली करने के लिए स्टर्लिंग बायोटेक लि. के खिलाफ निम्नलिखित कार्यवाई की गई हैः
  (i) लेनदार और उसके जमानतदार के खिलाफ ऋण वसूली न्यायाधीकरण (डीआरटी) में वसूली मुकदमा दाखिल किया गया है;
  (ii) कॉर्पोरेट इन्सॉलवेंसी समाधान प्रक्रिया को इन्सॉलवेंसी एंड बैंकर्ट्सी को, 2016 (आईबीसी) को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधीकरण (एनसीएलटी) के तहत शुरू किया गया है;
  (iii) स्टर्लिंग बायोटेक लि. और इसकी समूह कंपनियों के लेनदारों, जमानतदारों और प्रमोटर निदेशकों को जानबूझकर चूककर्ताओं के रूप में घोषित किया गया है।

  अभी तक स्टर्लिंग बायोटेक लि. से उधारकर्ताओं ने कुल 383 करोड़ रुपये की वसूली की है।

भाग- (ग) तथा भाग - (घ)

एनपीए से निपटने के लिए आरबीआई एवं सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रमुख उपाय/कदम उठाए गए हैं:

बैंकों जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी शामिल हैं की गैर निष्पादित आस्तियों की वसूली और उनकी निगरानी करने के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में उठाए गए विभिन्न कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लेनदारों के क्रेडिट डाटा को इकट्ठा करने, उसका भण्डारण करने और उसका प्रसार करने के लिए सेन्ट्रल रीपोजिट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी) का गठन किया गया है और यदि किसी लेनदार निकाय द्वारा 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक की चूक की होती है तो सीआरआईएलसी को बैंकों द्वारा साप्ताहिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

(2) आरबीआई द्वारा बैंकों को सलाह दी गई है कि:

(i) वे बोर्ड के स्तर पर उन ऋण खातों के परिसंपत्ति के वर्गीकरण में रहने वाली खामियों की समीक्षा करें जिनमें बकाया राशि 5 करोड़ रु. और इससे अधिक हो और उन एनपीए खातों की भी समीक्षा करें जिनमें 1 करोड़ रु. या इससे अधिक की वसूली हुई हो।

(ii) वसूली संबंधी क्रियाकलापों की गहनता से मॉनीटरिंग करने के लिए उनके मुख्यालय में एक वसूली प्रकोष्ठ की स्थापना करना; और

(iii) उनकी सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन सूचना प्रणाली को मजबूत बनाना जिससे कि परिसंपत्तियों के बारे में विश्वसनीय और गुणवत्ताप्रद जानकारी प्राप्त हो सके ताकि सार्थक निर्णय लिये जा सके।

(3) पब्लिक सेक्टर बैंक रीफॉर्म्स एजेंडा के एक भाग के रूप में पीएसबी में निर्णायक सुधार किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

(i) इन बैंकों में स्ट्रेस्ड असेट मेनेजमेंट वर्टीकल्स की स्थापना करना जिससे कि नजर में आने वाली खामियों को रोका जा सके और ज्यादा मूल्य वाले स्ट्रेस्ड असेट्स से संबंधित वसूली की कार्यवाई समयबद्ध ढ़ंग से की जा सके।

(ii) पीएसबी की बोर्ड अनुमोदित ऋण नीति को अब अनिवार्य बना दिया गया है जिसमें वितरण के पहले-पहले क्लीयरेंस/अनुमोदन तथा संपर्क को संलग्न कर दिया गया है इसके अलावा तुलनपत्र की जांच नकदी प्रवाह को नियंत्रित करने और नॉनफंड तथा टेल रिस्क मूल्यांकन, जो कि परियोजना के वित्त पोषण में होते हैं, को अनिवार्य बना दिया गया है।

(iii) सभी डाटा स्रोतों पर विस्तृत रूप से ध्यान देने के लिए तीसरे पक्ष डाटा स्रोत का प्रयोग शुरू कर दिया गया है। इस प्रकार गलत प्रस्तुतिकरण और धोखाधड़ी के कारण होने वाले जोखिम को कम किया जा सकता है।

(iv) मॉनीटरिंग के कार्य को उच्च मूल्य वाले ऋण की स्वीकृति के कार्य से अलग रखा गया है और 250 करोड़ रु. से अधिक के ऋण के कारगर मॉनीटरिंग के लिए ऐसी विशिष्ट मॉनीटरिंग एजेंसियों को लगाया गया है जिनको वित्तीय संबंधी ज्ञान रहता है।

(v) एकबारगी और कारगर समाधान के लिए पीएसबी में एंड-टू-एंड ओटीएस प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं।

(4) लेनदार और देनदार के संबंधों में आईबीसी के दवारा मूलभूत परिवर्तन किये जाने के कारण ऋण की संस्कृति में भी परिवर्तन आ गया है जिससे चूक करने वाली कंपनियों पर उनके प्रोमोटरों/मालिकों का नियंत्रण समाप्त हो जाता है और जानबूझकर चूक करने वालों को समाधान की प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है। इस प्रक्रिया को और सख्त बनाने के लिए कॉर्पोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारन्टर को भी आईबीसी के दायरे में लाया गया है। इस आईबीसी के अंतर्गत जून, 2021 तक 394 मामलों के समाधान योजना को मंजूरी मिल गयी है जिनमें वित्तीय लेनदार 2.45 लाख करोड़ रु. की राशि वसूल कर सकने की स्थिति में हैं।

(5) सेक्यूरिटाइजेशन एंड रिकॉन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंसियल असेट्स एंड इन्फॉर्समेंट ऑफ सेक्योरिटी इन्टेरेस्ट एक्ट, 2002 में संशोधन किया है जिससे कि इसको और अधिक कारगर बनाया जा सके जिसके तहत ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि कोई देनदार अपनी परिसंपत्तियों का ब्यौरा नहीं देता है तो उसको 3 माह की जेल हो सकती है और लेनदार 30 दिन के भीतर बंधक परिसंपत्ति को अपने कब्जे में ले सकता है।

(6) ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (डीआरटी) के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है जो कि 10 लाख रु. से 20 लाख रु. कर दिया गया है जिससे कि यह डीआरटी उच्च मूल्य वाले मामलों पर भी ध्यान केन्द्रित कर सके जिनके परिणामस्वरूप बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए ज्यादा-से-ज्यादा वसूली हो सके। इस प्रकार की वसूली में तेजी लाने के लिए 6 नए डीआरटी स्थापित किए गए हैं।

(7) बाजार से पीएसबी में पूंजी को बढ़ाने में सरकार के शामिल हो जाने के कारण 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार पीएसबी का कवरेज अनुपात 83.7% हो गया है जो कि काफी अधिक है, जिससे वह एनपीए के समाधान में निर्णय ले सकते हैं, इसके लिए अपने लाभ को प्रभावित करने वाले ऐसे निर्णय के प्रति वे बाध्य भी नहीं होंगे।

****